2020/00045

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास – यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 26/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. कर्नल जयदेवसिंह पुत्र अनोपसिंह राठौड़ जति राजपूत निवासी ग्राम केतु तहसील शेरगढ जिला जोधपुर (राज.)		1. रविन्द्रसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी बस्तवा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 2. तहसीलदार, फलोदी

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री नवाब खान व सदीक खान अधिवक्ता वादी

श्री तेजसिंह व महीपालसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.11.2020

वादी ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वाके ग्राम खींचन पटवार क्षेत्र खींचन तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 153/470 रकबा 15 बीघा एवं खसरा नम्बर 153/472 रकबा 15 बीघा कुल रकबा 30 बीघा भूमि में वादी के 1/2 हिस्सा भूमि का नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. स्थान पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर डिक्री पर्चा जारी किया जावें एवं इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अलग खाता दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार फलोदी को फरमावे।

अधिवक्ता वादी का वाद दर्ज रजिर्स्टड किया गया बाद प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये बाद प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता तेजसिंह व महिपाल सिंह ने वकालतनामा पेश किया बाद प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता को जवाब दावा पेश करने के कई अवसर देने के बावजूद भी जवाबदावा पेश नही करने पर जवाबदावा बंद किया गया। बाद वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फलौदी को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार फलौदी ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी । अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी

किया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि **ग्राम** खीचन पटवार क्षेत्र खीचन तहसील फलोदी के खेत खसरा नम्बर 153/470 रकबा 15 बीघा किस्म बा. 4 एवं खसरा नम्बर 153/472 रकबा 15 बीघा किस्म बा. 4 भूमि का बंटवाड़ा संलग्न विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा अनुसार वादी के बंट में खसरा नम्बर 153/470 में 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 153/472 में 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखी जाती है। व प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में खसरा नम्बर 153/470 में 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 153/472 में 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। माफिक आदेश अंतिम डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

यशपाल अहूजा (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फ़ास्ट ट्रेक) फलौदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कर्नल जयदेवसिंह पुत्र अनोपसिंह राठौड़ जति राजपूत निवासी ग्राम केतु तहसील शेरगढ जिला जोधपुर (राज.)		1. रविन्द्रसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी बस्तवा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 2. तहसीलदार, फलोदी

<u>दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वाद संख्या 26/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर श्री अधिवक्ता नवाब खान व श्री सदीक खान मिनजानिब व अधिवक्ता तेजसिंह मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम** खीचन पटवार क्षेत्र खीचन तहसील फलोदी के खेत खसरा नम्बर 153/470 रकबा 15 बीघा किस्म बा. 4 एवं खसरा नम्बर 153/472 रकबा 15 बीघा किस्म बा.4 भूमि का बंटवाड़ा संलग्न विभाजन प्रस्वाव के साथ नजरी नक्शा अनुसार वादी के बंट में खसरा नम्बर 153/470 में 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 153/472 में 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखी जाती है। व प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में खसरा नम्बर 153/470 में 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 153/472 में 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि रखी जाती है। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे। वसूली पाबी तक बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 11 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक ...
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—

नोटः— इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन को बाबे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 15:52:31 IST
Reason: SelfAttested